


न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०:- ११ / 2020


तारीखरजू:- 14-12-2020

उनवान:- कमल बनाम फत्ते सिंह वगै०

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक	फर्द अहकाम
14/12/2020	<p>प्रार्थी की ओर से श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनकर अप्रार्थीगण का सर्वप्रथम जबाब प्रस्तुत कराया जाना उचित पाता हूँ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 24.12.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  (दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
24.12.20	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं. 2, 4 की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा ADV. ने बकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं. 1, 3, 5 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। P.O. को भ्रमण पर पधारे थे, आर्डर दिनांक 4-1-21 को पेश हो।</p>
4-1-21	<p>वकील अभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी नम्बर 1, 3, 5 के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी वकील ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 9 जाहा दीवानी पेश किया। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। अप्रार्थी वकील द्वारा जबाब पेश नहीं करते पर प्रार्थी वकील ने एतराज उर्ब करके अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विषय पर बहस करने का कथन किया। प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में वर्णित तथ्यों को देखा पर अप्रार्थी वकील ने अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कर मौद्दा रिपोर्ट तलब करने का कथन किया। वकील</p>

6363-67
14-12-2020


 (दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
 जिला-करौली



न्यायालय उप जिला कलेक्टर दो

दिनांक	फर्द अहकाम
16-1-25	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगित रखा गया है। गतानुसार दिनांक... का पेश हो।
24-2-25	वादी वकील/वकील नाम पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।
1-4-25	वादी वकील/वकील नाम पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।
5-5-25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमर... का वाक्य उपस्थित। वकील को अमान पेश करने के लिए समय दिया गया। वारंट अमान दिनांक 21/5/25 को पेश हो।
21/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उमर... का वाक्य उपस्थित। वकील को अमान पेश करने के लिए समय दिया गया। वारंट अमान दिनांक 23/5/25 को पेश हो।
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उप वादी वकील को उपस्थित नहीं हुआ। वारंट अमान दिनांक 23/5/25 को पेश हो। वकील को अमान पेश करने के लिए समय दिया गया। वारंट अमान दिनांक 23/5/25 को पेश हो।

30
दस्तावेज